

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव (पीठासीन अधिकारी श्री यक्ष चौधरी, IAS)

राजस्व वाद संख्या 271 / 2025

अन्तर्गत धारा 53, 188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
लाभूराम पुत्र फजूराम जाति कुम्हार, निवासी मणिहारी तहसील शिव, जिला बाड़मेर		<ol style="list-style-type: none"> स्वरूपाराम पुत्र लखाराम सवाईराम पुत्र लखाराम कलाराम पुत्र लखाराम सुरेश उर्फ सवाईराम पुत्र लखाराम जोगाराम पुत्र लखाराम धन्नीदेवी पत्नी लखाराम ताराराम पुत्र फजूराम सगताराम पुत्र ताराराम निम्बाराम पुत्र ताराराम वीराराम पुत्र नरसीगाराम पदमाराम पुत्र नरसीगाराम अउकारराम पुत्र नरसीगाराम नागेश कुमार पुत्र नरसीगाराम छगनीदेवी पत्नी नरसीगाराम जाति कुम्हार, निवासी मणिहारी तहसील शिव, जिला बाड़मेर शाखा प्रबंधक, आईसीआईसीआई बैंक भीयाड़ तहसीलदार शिव

उपस्थित :- अधिवक्ता वादी - श्री देवीलाल कुमावत

अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 से 14 - श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।



--:: निर्णय ::--

दिनांक : 10.12.2025

उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। वाद में वादी द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा मणिहारी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 302, 303 रकबा क्रमशः 0.2185, 57.5219 हैक्टेयर एवं मौजा जुनेजों की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 310, 313 रकबा क्रमशः 15.5642, 2.4119 हैक्टेयर तथा मौजा भैरूपुरा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 294, 295 रकबा क्रमशः 4.0630, 5.1881 हैक्टेयर में अपने खातेदारी हिस्सा 1/4 की भूमि का मोके पर कब्जा काश्त एवं वादपत्र के संलग्न परिशिष्ट 'अ' अनुसार विभाजन किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि वर्तमान में पक्षकारान् के मध्य आपसी सहमति हो जाने से प्रतिवादी संख्या 1 से 14 की ओर से जरिये अधिवक्ता इकबाली जवाबदावा मय प्रतिदावा पेश कर वादी के साथ प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के संयुक्त रूप से 1/4 खातेदारी हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 से 9 के संयुक्त रूप से 1/4 खातेदारी हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 14 के संयुक्त रूप से 1/4 खातेदारी हिस्सा का प्रतिदावा के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार विवादित आराजी का विभाजन किये जाने बाबत् पूर्ण रूप से सहमति प्रदान की गई। उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र एवं जवाबदावा के संलग्न पेश परिशिष्ट 'ब' अनुसार अंतिम डिक्री जारी कर वादग्रस्त भूमि विभाजित किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की गई है। अतः उक्त स्थिति में उभयपक्ष में सहमति हो जाने से वादपत्र एवं जवाबदावा के संलग्न पेश परिशिष्ट 'ब' अनुसार वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा माफिक वादपत्र एवं जवाबदावा/प्रतिदावा के संलग्न परिशिष्ट 'ब' अनुसार वाद स्वीकार किया जाकर तहसील शिव, पटवार मण्डल राजड़ाल के ग्राम मणिहारी के खेत खसरा नम्बर 302, 303 रकबा क्रमशः 0.2185, 57.5219 हैक्टेयर व ग्राम जुनेजों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 310, 313 रकबा क्रमशः 15.5642, 2.4119 हैक्टेयर तथा पटवार मण्डल गूंगा के ग्राम भैरूपुरा के खेत खसरा नम्बर 294, 295 रकबा क्रमशः 4.0630, 5.1881 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान् के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है -

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)



क्र. सं.	नाम खातेदार	राजस्व ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्ट. में)	किस्म	लगान	बरग
1	लामूराम पुत्र फजूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. मणिहारी खातेदार	मणिहारी	303	2.8652	बा.चा.	—	पीला
			303	5.3418	बा.चा.	—	
			303	3.8040	बा.चा.	—	
		जुनेजों की ढाणी	310	3.8910	बा.चा.	—	
			313	0.6029	बा.चा.	—	
		भैरूपुरा	295	1.2970	ख.दो.	—	
294	1.0158	बा.दो.	—	—			
2	स्वरूपाराम, सवाईराम, कलाराम, सुरेश उर्फ सवाईराम, जोगाराम पि. लखाराम, धन्नीदेवी पत्नी लखाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. मणिहारी खातेदार	मणिहारी	302	0.2185	बा.चा.	—	काला
			303	6.9363	बा.चा.	—	
			303	4.8562	बा.चा.	—	
		जुनेजों की ढाणी	310	3.8910	बा.चा.	—	
			313	0.6030	बा.चा.	—	
		भैरूपुरा	295	1.2970	ख.दो.	—	
294	1.0158		बा.दो.	—			
3	ताराराम पुत्र फजूराम, सगताराम, निम्बाराम पि. ताराराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. मणिहारी खातेदार	मणिहारी	303	3.4965	बा.चा.	—	केसरिया
			303	5.3418	बा.चा.	—	
			303	3.1727	बा.चा.	—	
		जुनेजों की ढाणी	310	3.8911	बा.चा.	—	
			313	0.6030	बा.चा.	—	
		भैरूपुरा	295	1.2970	ख.दो.	—	
294	1.0157		बा.दो.	—			
4	वीराराम, पदमाराम, अउकारराम, नागेश कुमार पि. नरसिंगाराम, छगनीदेवी पत्नी नरसिंगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. मणिहारी खातेदार	मणिहारी	303	1.3921	बा.चा.	—	हरा
			303	10.6189	बा.चा.	—	
		जुनेजों की ढाणी	310	3.8911	बा.चा.	—	
			313	0.6030	बा.चा.	—	
		भैरूपुरा	295	1.2970	ख.दो.	—	
			294	1.0157	बा.दो.	—	
5	बदस्तूर जमाबंदी अनुसार	मणिहारी	303	4.8482	बा.चा.	—	बैंगनी
		मणिहारी	303	4.8482	बा.चा.	—	

तहसीलदार शिव को इसी अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करने एवं नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित परिशिष्ट 'ब' अनुसार परिवर्तन सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते हैं। पक्षकारों को राजस्व रेकॉर्ड अनुसार बराबर हिस्सा मिल रहा है। बैंक हित उक्त निर्णय से अप्रभावित रहेंगे। जवाबदावा/प्रतिदावा के संलग्न प्राप्त नक्शा परिशिष्ट 'ब' निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।



निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक सहायक डायरेक्टर
(SDO) शिव
शिव (बाँसगाँव)

सहायक सहायक डायरेक्टर
(SDO) शिव
शिव (बाँसगाँव)